भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

180

R 475 - I - 17

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ......../............../...........................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री अशोक कुमार कोल पिता हुब्बीलाल कोल
निवासी-मकान नं. 52, गंगई पड़रिया, तहसील कुण्डम जिला जबलपुर।

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. श्री रंजीत यादव पिता सुभाष यादव
निवासी रांझी करौंदी तहसील व जिला जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

**अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्**

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **76/अ-21/2016-17** में पारित **आदेश** दि. 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री अशोक कुमार कोल पिता हुब्बीलाल कोल निवासी-मकान नं. 52, गंगई पड़रिया, तहसील कुण्डम जिला जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **बिचुआ** प.ह.नं. 14(बीजापुरी) रा.नि.मं.इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 35/1 रकवा 2.280 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री रंजीत यादव पिता सुभाष यादव निवासी रांझी करौंदी तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27/12/2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. यह कि आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। यह कि आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है तथा आवेदक यह भूमि को विक्रय कर अपने जीवन यापन अन्य साधनों से पूर्ति कर सकता है।
4. प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, और प्रकरण ग्राहयता पर तर्क हेतु दिनांक 23.01.2017 को नियत किया गया , दिनांक 23.01.2017 की पेशी तारीख में आवेदक के परिवार में धार्मिक आयोजन होने से पेशी तारीख याद न होने के कारण आवेदक उपस्थित नही हो सकता ,जिसके फलस्वरूप कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST. M.P. Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

27 JAN 2017

**XXXIX(a)BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

प्रकरण क्रमांक - अपील 475-एक/17 जिला - जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15-2-17 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 76/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी कं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 23-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।<br>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम बिचुआ प.ह. नं. 14 बीजापुरी रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 35/1 रका 2.280 हैक्टर को प्रत्यर्थी कं0- 1/ | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | गैर आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्को में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । <br><br> उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बिचुआ प.ह.नं. 14 बीजापुरी रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 35/1 रकबा 2.280 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक -1/ गैर आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है । <br><br> 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । | |

XXXIX(a)BR(H)-11 -4-

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

प्रकरण क्रमांक - अपील 475-एक/17 जिला - जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी ।<br>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।<br>अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।<br>(एम0के0 सिंह)<br>सदस्य,<br>राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,<br>ग्वालियर | |